



Neutral Citation No. - 2026:AHC:24300

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 4337/2026

धन्नो देवी और 20 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रेम सागर वर्मा, राहुल कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी, कृष्णकांत सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 22.05.2023 के संकल्प में याचिकाकर्ताओं को कृषि पट्टा आवंटित करने के लिए उचित आदेश पारित करने का निर्देश देने हेतु परमादेश जारी करने की प्रार्थना के साथ यह याचिका दायर की है।
2. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि भूमि प्रबंधन समिति की बैठक 22.05.2023 को हुई थी और उस बैठक में याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों के पक्ष में एक विशेष भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 की धारा 121 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 ने पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार की। इसके बाद 22.05.2023 को याचिकाकर्ताओं और अन्य समान रूप से पात्र व्यक्तियों के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया गया और उसे अनुमोदन के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को भेजा गया। आगे तर्क दिया गया है कि कागजात बहुत पहले भेजे गए थे लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
3. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया।
4. उपरोक्त के मद्देनजर, इस याचिका का अंतिम निपटारा करते हुए उप-मंडल मजिस्ट्रेट, पटियाली, जिला कासगंज को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामले में शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर अंतिम निर्णय लें।
5. यदि इस संबंध में कोई निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, तो उसकी सूचना याचिकाकर्ताओं को इसी अवधि के भीतर दी जानी चाहिए।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

4 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"